hereby nominates Shri Saleem Iqbal Shervani, Minister of State for Health and Family Welfare (Independent Charge) to be a member of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh in place of Shri A. R. Antulay and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 937 (E), dated the 30th December, 1992, namely :—

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"1. Shri Saleem Iqbal Shervani, Minister of State for Health and Family Welfare. (Independent Charge) "

[F. No. V. 17013/2/92-ME (PG) (i)]

SUNILA BASANT, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India vide notification number 937 (E), dated the 30th December, 1992 and subsequently amended by :—

(1) Notification number S.O. 85 (E), dated the 01st February, 1993
(2) Notification number S.O. 311 (E), dated 24th April, 1996.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1996

का.आ. 520(अ).— स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम 1966 (1966 का 51) की धारा 7 की उपधारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-3 (ii) में दिनांक 24 अप्रैल, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 312 (अ) दिनांक 24 फरवरी, 1996 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के एक सदस्य, श्री सलीम इकबाल शेरवानी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को उक्त संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामित करती है।

[सं. वी. 17013/2/92 -एम.ई. (पी. जी.) (ii)]

- सुनीला बसंत, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 1996

S.O. 520(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (51 of 1966) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), number S.O. 312 (E), dated the 24th April, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II, Section 3, sub-section (ii) dated the 24th April, 1996, the Central Government hereby nominates Shri Saleem Iqbal Shervani, Minister of State for Health and Family Welfare (Independent Charge), a member of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh to be the President of the said Institute.

[F. No. V. 17013/2/92-ME (PG) (ii)]

SUNILA BASANT, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 419] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 1996/आषाढ़ 27, 1918
No. 419] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 1996/ASADHA 27, 1918

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1996

का.आ. 519 (अ).—स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966(1966 का 51) की धारा 6 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 5 के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री ए. आर. अंतुले के स्थान पर श्री सलीम इकबाल शेरवानी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के एक सदस्य के रूप में नामित करती है और भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 937 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 1992, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"1. श्री सलीम इकबाल शेरवानी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)"

[संख्या वी. 17013/2/92-एम.ई. (पी. जी.)(i)]
सुनीला बसन्त, संयुक्त सचिव

नोट :—प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 937 (अ) दिनांक 30 दिसम्बर, 1992 के तहत छपी थी और उसके बाद उसमें अधिसूचना सं. का. आ. 85 (अ) दिनांक 1 फरवरी, 1993 और अधिसूचना सं. का. आ. 311 (अ) दिनांक 24 अप्रैल, 1996 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 1996

S.O.519 (E) :—In exercise of the powers conferred by clause (e) of section 5, read with sub-section (4) of section 6, of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Act, 1966 (51 of 1966), the Central Government